

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

- प्रेषक :- शासन सचिव, वित्त (बजट)।
प्रेषिति :- श्री विपिन कुमारत,
35-बी, गोपीपुरी, शाहपुरा
भीलवाड़ा (राज.) 311404

मानांक प.व.(7)वित्त/नियम/2002

जायपुर, दिनांक : 25 NOV 2010


विषय :- सूचना : अधिकार अधिनियम के तहत पुनः सूचना चाहने वाले।

संदर्भ :- वित्त संचार/विशेषाधिकारी वित्त नियम को राम्योरेत आपका पत्र
दिनांक : 2.10.2010

महोदय,

उपर्युक्त विषयात् इस विभाग के समसर्थक पत्र दिनांक 22.10.2010 के
क्रम में आप द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक शून्य के द्वारा बांछित सूचना के क्रम में
निर्देशानुसार लेख है कि probationer trainee द्वारा राजकीय कार्य से यात्रा करने पर
T.A on tour में बस किराए, विराम भत्ता एवं अनुपानिक व्यय देय होग।

नम्नीय,


(अधिकारी पारीक)
उप शासन सचिव